अध्याय–III

उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का परिचालन कायाकल्प

सारांश

डिस्कॉम्स के परिचालन कायाकल्प के लिए, उदय ने कुछ परिचालन लक्ष्य यथा फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर का अनिवार्य मीटरीकरण, उपभोक्ताओं हेतु स्मार्ट मीटर संधारण, उपभोक्ताओं का अनुक्रमण एवं हानियों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण तथा ट्रांसफार्मर एवं मीटर का उन्नयन/ परिवर्तन इत्यादि निर्धारित किए गए जोकि डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किये जाने थे। साथ ही, उदय/एमओयू में डिस्कॉम द्वारा कुछ अन्य पहल यथा 11 केवी फीडर की ऊर्जा लेखापरीक्षा करना, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) को कार्यान्वित करना, मांग-पक्ष प्रबंधन (डीएसएम), सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान चलाना तथा सतर्कता जांच अभियान चलाना इत्यादि का भी उल्लेख किया गया था।

हमने देखा कि डिस्कॉम्स 9,018 फीडर (कुल फीडर का 31 प्रतिशत) पर समर्थित मीटरिंग उपकरणों का संस्थापन सुनिश्चित नहीं कर पाए। साथ ही, डिस्कॉम्स ने इन फीडर को, इन पर संस्थापित वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अंतर्निहित मीटरिंग उपकरणों के आधार पर, त्रुटिपूर्वक मीटरीकृत मान लिया।

साथ ही, तीनों डिस्कॉम्स में से किसी ने भी लक्षित तिथि (जून 2018) तक वितरण-ट्रांसफार्मर पर मीटरीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयास शुरू नहीं किए तथापि वितरण-ट्रांसफार्मर पर मीटरीकरण की प्रगति नगण्य (मार्च 2021 तक 1.48 प्रतिशत) थी। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स वितरण-ट्रांसफार्मरवार घाटे की पहचान करने एवं उच्च-घाटे वाले वितरण-ट्रांसफार्मर को चिन्हित करने की स्थिति में नहीं थे, जिसने समग्र तकनीकि और वाणिज्यिक घाटे को कम करने के प्रयास को विफल कर दिया।

डिस्कॉम्स ने कुल उपखण्डों के मात्र 2.70 प्रतिशत एवं 13.87 प्रतिशत के मध्य ही स्मार्ट मीटर संस्थापित करने की योजना बनायी। साथ ही, मूल कार्यान्वयन की समयसीमा समाप्त होने के उपरांत भी, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटर की आदेशित मात्रा का क्रमशः 81.44 प्रतिशत, 35.98 प्रतिशत एवं 54.93 प्रतिशत ही संस्थापित कर पाए।

डिस्कॉम्स ने उदय के अन्तर्गत परिकल्पित भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा मानचित्रण करते हुए उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन मार्च 2022 तक नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, फीडरवार उपभोक्ता अनुक्रमण को 100 प्रतिशत प्रमाणित/सत्यापित करने एवं डाटा को मासिक आधार पर अद्यतन करने के डिस्कॉम्स के अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स उचित एवं विश्वसनीय ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार नहीं कर पाए।

जयपुर और अजमेर डिस्कॉम एक फेज वाले वितरण ट्रांसफार्मर के क्षमता परिवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे रहे जबकि जोधपुर डिस्कॉम की उपलब्धि नगण्य थी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने वितरण ट्रांसफार्मर की उच्च विफलता दर की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए।

डिस्कॉम्स ने विफल वितरण ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन भी समय पर सुनिश्चित नहीं किया एवं उनके पास प्रतिस्थापन हेतु मार्च 2021 तक सारभूत शेष (11,387 विफल वितरण ट्रांसफार्मर) था।

डिस्कॉम्स ने दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर के प्रतिस्थापन के मानदण्डों का पालन नहीं किया एवं इस प्रकार, उनको 2016-21 के दौरान दोषपूर्ण मीटरों के विरुद्ध ₹ 56.35 करोड़ की छूट अनुमत्य करनी पड़ी।

इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप/अशुद्धियों को रोकने के लिए फीडर निगरानी तंत्र का 100 प्रतिशत स्वचालन, प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन एवं ऊर्जा बचत के लिए डीएसएम को सुनिश्चित नहीं कर पाए। डिस्कॉम्स द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानो का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं किया गया। साथ ही, डिस्कॉम्स द्वारा सतर्कता अभियानों को बढ़ाने के प्रयास नहीं किए गए। डिस्कॉम्स/राजस्थान सरकार द्वारा उदय की कार्ययोजना के अन्तर्गत परिकल्पित सतर्कता निगरानी समितियों का गठन भी नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार हेतु लक्ष्य

3.1 उदय ने डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु कुछ परिचालन लक्ष्य निर्धारित किए। उदय/त्रिपक्षीय एमओयू में सम्मिलित लक्ष्य थे:

फीडर का अनिवार्य मीटरीकरण

3.2 फीडर का मीटरीकरण फीडर मीटर में दर्ज विद्युत आगत की संबंधित फीडर से जुड़े उपभोक्ताओं को बिल की गई विद्युत के साथ तुलना करके फीडरवार विद्युत हानि को चिन्हित करने में सहायता करता है। उदय ने फीडर का अनिवार्य मीटरीकरण 30 जून 2016 तक पूर्ण करने की परिकल्पना की थी।

फीडर मीटरीकरण की 31 मार्च 2016 (उदय से पूर्व), 30 जून 2016 (लक्षित तिथि) तथा 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात) को स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

चार्ट संख्या 3.1: फीडर मीटरीकरण की डिस्कॉम-वार स्थिति

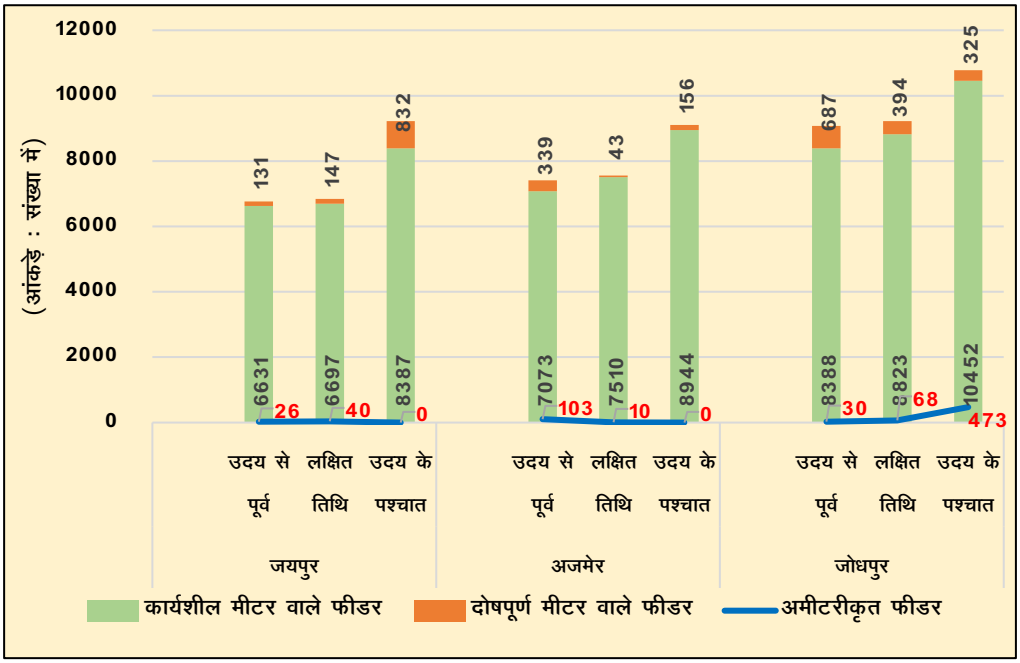

स्रोतः राज्य के डिस्कॉम्स की मीटर एवं संरक्षण (एमएंडपी) शाखा द्वारा संधारित एमआईएस।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स के मीटर एवं संरक्षण (एमएंडपी) शाखा ने 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात्) तक अपने सभी फीडर को मीटरीकृत दर्शाया (जोधपुर डिस्कॉम में 473 गैरमीटरीकृत फीडर के अतिरिक्त)। यद्यपि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 29,096 मीटरीकृत फीडर में से, 9,018 फीडर[1] (31 प्रतिशत) पर समर्पित मीटरिंग-उपकरण के स्थान पर मात्र मीटरिंग उपकरणयुक्त वैक्यूम सर्किट ब्रेकर (वीसीबी) थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि फीडर पर विद्युत के आगम/निर्गम को संधारित करने के लिए मीटरिंग उपकरणयुक्त वीसीबी पर्याप्त नहीं थे क्योंकि विद्युत आपूर्ति बाधित/बंद होने के कारण वीसीबी खराब होने की स्थिति में इनके द्वारा अनियमित/त्रुटिपूर्ण विद्युत पठन हो सकता था। अतः, डिस्कॉम्स द्वारा 9,018 फीडर, जिन पर मीटरिंग-उपकरण मात्र वीसीबी में अन्तर्निहित थे, पर

1 जयपुर डिस्कॉम में 1,048 फीडर, अजमेर डिस्कॉम में 28 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम में 7,942 फीडर।

समर्थित मीटर लगाना वांछित था। साथ ही, 31 मार्च 2021 तक 1,313 फीडर-मीटर[2] खराब पड़े थे।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार इस बात पर सहमत हुई कि वीसीबी के माध्यम से फीडर का मीटरीकरण प्रभावकारी नहीं था एवं इससे पठन दोषपूर्ण हो सकता था। सरकार ने डिस्कॉम्स को वीसीबी में अन्तर्निहित मीटरिंग उपकरण से आश्वस्त होने के स्थान पर समर्पित फीडर मीटर के माध्यम से फीडर का मीटरीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत 100 प्रतिशत फीडर मीटरीकरण करने हेतु भी आश्वस्त किया।

वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) का अनिवार्य मीटरीकरण

3.3 (अ) उदय में डीटी का अनिवार्य मीटरीकरण 30 जून 2017 तक पूर्ण किया जाना परिकल्पित था (एमओयू में संशोधित कर इसे 30 जून 2018 तक किया गया)। एमओयू में प्रतिबद्ध प्रक्षेपवक्र के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा सितंबर 2016 तक 20 प्रतिशत डीटी, मार्च 2017 तक 40 प्रतिशत डीटी, सितंबर 2017 तक 60 प्रतिशत डीटी, मार्च 2018 तक 80 प्रतिशत डीटी एवं जून 2018 तक 100 प्रतिशत डीटी का मीटरीकरण करना था।

31 मार्च 2016 (उदय पूर्व), 30 जून 2018 (लक्षित तिथि) एवं 31 मार्च 2021 (उदय के पश्चात) तक डीटी का मीटरीकरण की स्थिति नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

चार्ट संख्या 3.2: वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग की डिस्कॉम वार स्थिति

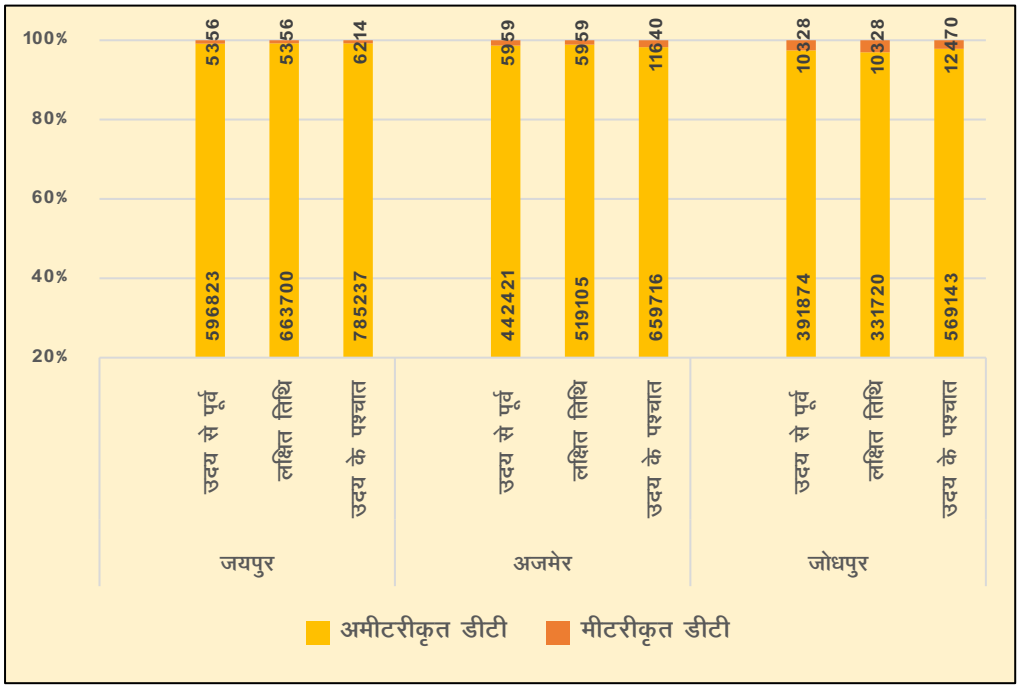

स्रोत: डिस्कॉम द्वारा संधारित एमआईएस एवं प्रदत सूचना।

2 जयपुर डिस्कॉम में 832 फीडर, अजमेर डिस्कॉम में 156 फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम में 325 फीडर।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी डिस्कॉम ने डीटी का मीटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित तिथि तक प्रयास शुरू नहीं किए थे। साथ ही, डिस्कॉम्स ने डीटी का मीटरीकरण करने के लिए कार्यादेश विलंब से जारी किए (अगस्त 2018 एवं नवंबर 2019 के मध्य)। परिणामस्वरूप, तीनों डिस्कॉम्स सामूहिक रूप से 31 मार्च 2021 तक कुल स्थापित डीटी (20.44 लाख डीटी) के मात्र 1.48 प्रतिशत का मीटरीकरण सुनिश्चित कर सके।

डीटी मीटरीकरण की योजना एवं कार्यान्वयन

(ब) डिस्कॉम्स द्वारा एक डीटी मीटरीकरण नीति बनाई गई (दिसंबर 2016) जिसके अनुसार डीटी का मीटरीकरण सर्वप्रथम उच्च एटीएंडसी घाटे वाले नगरनिकाय वाले कस्बों में किया जाना था। लागत-लाभ अनुपात प्राप्त करने हेतु, उक्त नीति को तीन चरणों[3] में कार्यान्वित किया जाना था। कार्य की पूंजी-गहनता को ध्यान में रखते हुए, नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में डीटी का मीटरीकरण शुरू करने का प्रावधान, नगरनिकाय वाले कस्बों में डीटी के मीटरीकरण के परिणामों से इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के पश्चात एवं उच्च हानि वाले डीटी के मीटरीकरण को प्राथमिकता देते हुए करने के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने उक्त नीति, एमओयू (जनवरी 2016) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों पर विचार किए बिना एवं इसके अधीन परिकल्पित तीन चरणों के कार्यान्वयन के लिए कोई समयसीमा उल्लेखित किए बिना, विलम्ब से दिसंबर 2016 में तैयार की। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स डीटी के मीटरीकरण का प्रथम चरण मार्च 2022 तक पूर्ण नहीं कर पाए।

डीटी के मीटरीकरण को कार्यान्वित करने के अभाव में, डिस्कॉम्स डीटी-वार घाटे की पहचान करने अथवा उच्च घाटे वाले डीटी का पता लगाने की स्थिति में नहीं थे। साथ ही, उदय के अन्तर्गत प्रतिबद्ध समयसीमा को प्राप्त नहीं करने से डिस्कॉम्स में एटीएंडसी घाटे को कम करने का उद्देश्य ही विफल हो गया।

डिस्कॉम्स ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि चूंकि डीटी के मीटरीकरण के कार्य की प्रकृति एवं तकनीक नई एवं जटिल थी, अतः उन्होंने उच्च एटीएंडसी घाटे वाले नगरनिकाय वाले कस्बों से प्रारंभ करके चरणबद्ध ढंग से डीटी मीटर लगाने का निर्णय लिया। सरकार ने डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया ।

अनुशंसा 8: डिस्कॉम्स विशिष्ट हानि-क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु सभी फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर की स्थापना एवं एटीएंडसी घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।

3 आर-एपीडीआरपी कस्बे (चरण-I), शेष कस्बे (चरण-II) एवं 40 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी घाटे वाले ग्रामीण क्षेत्र (चरण-III)।

उपभोक्ताओं का स्मार्ट मीटरीकरण

3.4 उदय के वाक्यांश 4.1 में, प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का दिसंबर 2017 तक एवं अन्य (प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक एवं 500 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ता) का दिसंबर 2019 तक स्मार्ट मीटरीकरण पूर्ण करने का प्रावधान था। एमओयू निष्पादित (जनवरी 2016) करते समय, लक्षित तिथियाँ प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं हेतु जून 2018 एवं प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक का उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं हेतु जून 2020, लागत-लाभ विश्लेषण के अधीन, मानी गई।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के अधीन उदय में भाग लेने वाले राज्यों के लिए स्मार्ट मीटरीकरण समाधानों के संस्थापन हेतु डिस्कॉम्स को कोष (₹ 68.21 करोड़) आवंटित किया (जून 2017) तथा इस हेतु सामान्य दिशानिर्देश जारी किए (अक्टूबर 2017)। आईपीडीएस के दिशानिर्देश के अनुसार, जयपुर डिस्कॉम ने 33 वृत्त कार्यालयों के अधीन कुल 600 उपखण्डों[4] में से 60 उपखण्डों (19 वृत्त कार्यालय[5]) को सम्मिलित करते हुए स्मार्ट मीटरीकरण हेतु डीपीआर प्रस्तुत की (नवम्बर 2017 से मार्च 2018)।

साथ ही, डीआरसी[6] बैठक (अगस्त 2018) जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि मात्र जयपुर डिस्कॉम ही स्मार्ट मीटर परियोजना को लागू करेगा एवं अन्य दो डिस्कॉम्स जयपुर डिस्कॉम के परिणाम के आधार पर इसका अनुसरण करेंगे, की पालना में, जयपुर डिस्कॉम ने 4.31 लाख उपभोक्ताओं हेतु उन्नत मीटरिंग ढांचा (एएमआई)/स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण करने हेतु ठेका प्रदान (अगस्त 2018) किया। इसके बाद पीएफसी (आईपीडीएस हेतु नोडल संस्थान) एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के हस्तक्षेप करने पर (जनवरी 2019), अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने भी क्रमशः 1.91 लाख उपभोक्ताओं एवं 1.02 लाख उपभोक्ताओं के एएमआई/स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने हेतु दो वर्ष की पूर्णता अवधि के साथ ठेके प्रदान (जुलाई-अगस्त 2019) किये।

डिस्कॉम-वार समावेश किये जाने वाले उपखण्डों की संख्या, उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु आदेशित एवं मार्च 2022 तक पूर्ण किये कार्य का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

4 जयपुर डिस्कॉम (13 वृत्त कार्यालयों के अधीन 209 उपखण्ड), अजमेर डिस्कॉम (12 वृत्त कार्यालयों के अधीन 204 उपखण्ड) एवं जोधपुर डिस्कॉम (11 वृत्त कार्यालयों के अधीन 185 उपखण्ड)।

5 जयपुर डिस्कॉम (आठ वृत्त कार्यालयों के अधीन 29 उपखण्ड), अजमेर डिस्कॉम (10 वृत्त कार्यालयों के अधीन 26 उपखण्ड) एवं जोधपुर डिस्कॉम (मात्र एक वृत्त कार्यालय के अधीन पांच उपखण्ड)।

6 वितरण सुधार समिति।

तालिका 3.1: डिस्कॉम-वार समावेश किये जाने वाले उपखण्डों की संख्या, उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु आदेशित एवं मार्च 2022 तक पूर्ण किये कार्य का विवरण

डिस्कॉम	कुल उपखण्ड	समावेश किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखण्ड	उपभोक्ताओं की संख्या जिनके लिए कार्यादेश जारी किया गया था	उपभोक्ताओं की संख्या जिनके लिए स्मार्ट मीटरीकरण किया गया
जयपुर	209	29	4.31 लाख	3.50 लाख
अजमेर	204	26	1.91 लाख	0.68 लाख
जोधपुर	185	5	1.02 लाख	0.56 लाख

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा, आईपीडीएस के अधीन कोष आवंटन होने तक, उदय के अंतर्गत स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए। साथ ही, स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन करने के लिए अपनाये गए मानदंड उदय/एमओयू के प्रावधानों के अनुसार नहीं थे क्योंकि डिस्कॉम्स ने उच्च टीएंडडी हानि वाले एवं प्रति उपभोक्ता कम उपभोग वाले उपखण्डों का चयन किया। इसके अतिरक्त, कार्यान्वयन का वास्तविक स्तर बहुत कम था क्योंकि डीपीआर के अंतर्गत जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के कुल उपखण्डों का क्रमशः 13.87 प्रतिशत और 12.74 प्रतिशत ही नियोजित था। जोधपुर डिस्कॉम में तो यह नगण्य (2.70 प्रतिशत) था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मूल कार्यान्वयन समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटर की आदेशित मात्रा का क्रमशः 81.44 प्रतिशत, 35.98 प्रतिशत एवं 54.93 प्रतिशत संस्थापित कर पाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 3.80 लाख एवं 6.80 लाख उपभोक्ता थे जिनका मासिक उपभोग 200 यूनिट से अधिक था जबकि जयपुर डिस्कॉम के पास उपभोक्ताओं का उपभोगवार विवरण नहीं था। तथापि डीपीआर में उपभोक्ताओं की उपभोगवार पहचान की अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि स्मार्ट मीटर उदय के प्रावधानों के अनुसार संस्थापित किये गए थे।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स न तो उदय के अंतर्गत निर्धारित/प्रतिबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति जागरूक थे एवं न ही उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरीकरण हेतु प्रदत्त अनुबंधों का समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर पाए।

डिस्कॉम्स ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संपूर्ण राजस्व इकाई को समाविष्ट करने के स्थान पर स्मार्ट मीटर (मात्र 200 यूनिट एवं 500 यूनिट से अधिक के उपभोक्ताओं के लिए) का बिखराव में संस्थापन करने में अवरोध यथा नियुक्त मानवशक्ति में कोई कमी नहीं होना, पथ-अनुक्रमण एवं बिलिंग-चक्र में व्यवधान आना इत्यादि उत्पन्न होते। सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया ।

उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि डिस्कॉम्स द्वारा स्मार्ट मीटरीकरण उदय के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था। साथ ही, डिस्कॉम्स के त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण एवं अपर्याप्त प्रयासों के कारण मार्च 2022 तक स्मार्ट मीटरीकरण का कार्यान्वयन नगण्य रहा, जिसके परिणामस्वरूप उदय की प्रभावशीलता प्रभावित हुई।

अनुशंसा 9: डिस्कॉम्स प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ताओं के सिरे पर स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के लिए उदय के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

उपभोक्ता-अनुक्रमण और जीआईएस द्वारा मानचित्रण

3.5 उपभोक्ता-अनुक्रमण, उस फीडर या वितरण ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा किसी विशेष उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जा रही है, का स्थान निर्धारण करने का एक तंत्र है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण पृथ्वी की सतह पर स्थिति से संबंधित भौगोलिक-डेटा के प्राप्तिकरण, संग्रहण, जांच, एकीकरण, संशोधन, विश्लेषण एवं प्रदर्शन की एक तकनीक है।

उदय के वाक्यांश 4.1 में, अन्य बातों के साथ, डिस्कॉम्स को सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए घाटे वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाने हेतु, 30 सितंबर 2018 तक घाटे की संपूर्ण उपभोक्ता-अनुक्रमण एवं जीआईएस द्वारा मानचित्रण का प्रावधान था।

जीआईएस-मानचित्रण सहित उपभोक्ता-अनुक्रमण

3.5.1 भारत सरकार ने आर-एपीडीआरपी[7] के अंतर्गत उपभोक्ता-अनुक्रमण एवं जीआईएस द्वारा मानचित्रण प्रभावी किया (दिसंबर 2008)। तदनुसार, डिस्कॉम्स ने एक निजी विक्रेता (एचसीएल इंफोसिस्टम्स) की सहायता से राज्य के 188 कस्बों में उपभोक्ताओं का जीआईएस द्वारा सर्वेक्षण प्रारंभ किया (सितंबर 2009)। तथापि, जीआईएस द्वारा सर्वेक्षण हेतु अपनायी गई पद्धति पर विवाद के कारण, निजी विक्रेता ने 2015 में कार्य बंद कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स की निगम स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने, कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों एवं जीआईएस डाटा को अद्यतन करने की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, जीआईएस द्वारा मानचित्रण के स्थान पर नेटवर्क इंडेक्सिंग मॉड्यूल (एनआईएम[8]) को अपनाने का निर्णय किया (मई 2016)। तदनुसार, जयपुर डिस्कॉम को उक्त प्रणाली के 'गो-लाइव' होने के पश्चात एक बाह्य संस्था के माध्यम से जीआईएस डाटा को अद्यतन/ संशोधित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।

---

7 पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

8 एनआईएम के अन्तर्गत, जीआईएस द्वारा मानचित्रीकरण के स्थान पर संबंधित फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर के संदर्भ में उपभोक्ता-अनुक्रमण किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर-एपीडीआरपी में सम्मिलित 188 कस्बों के जीआईएस सर्वेक्षण के डाटा 2015 में कार्य बंद होने के कारण अप्रचलित (मार्च 2021) हो गये थे। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम ने जीआईएस द्वारा मानचित्रण के कार्य को आउटसोर्स करने के निर्देशों की मार्च 2021 तक अनदेखी की। इस प्रकार, उदय के अंतर्गत परिकल्पित जीआईएस द्वारा मानचित्रण एवं उपभोक्ता-अनुक्रमण मार्च 2022 तक अकार्यान्वित रहे तथा वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि परियोजना को अनुबंधात्मक समझौते के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। इसने आगे कहा कि जीआईएस रहित एनआईएम को जीआईएस आधारित नेटवर्क अनुक्रमण एवं उपभोक्ता-अनुक्रमण मॉड्यूल के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था। वर्तमान में यह कार्य मानवीय रूप से किया जाता है परन्तु जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अन्तर्गत अपनाया जाएगा।

तथ्य यह रहा कि 2018-19 में उदय के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, उदय के अन्तर्गत परिकल्पित जीआईएस-मानचित्रण सहित उपभोक्ता-अनुक्रमण को मार्च 2022 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका। साथ ही, आरडीएसएस के अंतर्गत जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन करने हेतु सरकार का उत्तर, यह पुष्टि करता है कि विकल्प के रूप में विकसित जीआईएस-मानचित्रण रहित एनआईएम, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है।

जीआईएस-मानचित्रण रहित उपभोक्ता-अनुक्रमण

3.5.2 उपभोक्ता-अनुक्रमण की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष-डिस्कॉम्स[9] ने डिस्कॉम्स को नियत पद्धति के अनुसार 31 मार्च 2019 तक उपभोक्ता-अनुक्रमण का 100 प्रतिशत सत्यापन/प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने एवं मासिक आधार पर डाटा को अद्यतन करने का निर्देश दिया (जनवरी-फरवरी 2019)।

(अ) फीडरवार उपभोक्ता-अनुक्रमण के मामले में, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स 1 फरवरी 2022 तक क्रमशः 99.87 प्रतिशत, 84.77 प्रतिशत एवं 80.88 प्रतिशत फीडरवार अनुक्रमण को सत्यापित/प्रमाणित कर सके। इस प्रकार, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स अध्यक्ष-डिस्कॉम्स के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

(ब) डीटी-वार उपभोक्ता-अनुक्रमण के मामले में, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने 1 फरवरी 2022 तक क्रमशः 47.10 प्रतिशत, 98.98 प्रतिशत एवं 98.35 प्रतिशत उपभोक्ताओं का अनुक्रमण दर्शाया। इस प्रकार, जयपुर डिस्कॉम डीटी-वार उपभोक्ता-अनुक्रमण करने में बहुत पीछे रह गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ता-अनुक्रमण के आंशिक डाटा के सत्यापन/ प्रमाणीकरण ने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की क्योंकि पूर्णतः सत्यापित डाटा के अभाव में, डिस्कॉम्स उचित और विश्वसनीय ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नहीं बना पाए। अप्रमाणित/असत्यापित उपभोक्ता-

9 अध्यक्ष-डिस्कॉम्स तीनों डिस्कॉम्स के अध्यक्ष हैं।

अनुक्रमण डाटा के कारण ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विसंगतियों (यथा उपभोक्ताविहीन फीडर) की चर्चा नीचे **अनुच्छेद 3.5.3** में की गई है। इसके अतिरिक्त, जीआईएस द्वारा मानचित्रण का कार्यान्वयन एवं प्रत्येक फीडर/डीटी से वास्तविक-समय आधारित स्वचालित डाटा प्राप्ति की व्यवस्था किए बिना, अनुक्रमित डाटा को वास्तविक-समय पर अद्यतन करते हुए 100 प्रतिशत उपभोक्ता-अनुक्रमण प्राप्ति का नियोजन संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, घाटे वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने का प्रमुख उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) कि उपभोक्ता-अनुक्रमण की अद्यतन स्थिति जानने एवं उसके अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए, एक वास्तविक-समय आधारित निगरानी तंत्र अधिक प्रभावी है। समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने आरडीएसएस के अन्तर्गत जीआईएस आधारित उपभोक्ता-अनुक्रमण कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।

परिकल्पित उपभोक्ता-अनुक्रमण का कार्यान्वयन किए बिना विश्वासप्रद डाटा का अभाव

3.5.3 लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फीडरवार ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं वृत्तवार सारांश प्रतिवेदन में दर्शाए गए सभी 32,175 फीडर (विभाजित/क्रॉस फीडर[10] सहित) की एटीएंडसी हानियों का विश्लेषण किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 8,179 फीडर (25.42 प्रतिशत) ने नकारात्मक/ गैर-संख्यात्मक एटीएंडसी घाटा दर्शाया जबकि 8,728 फीडर (27.13 प्रतिशत) ने 50 प्रतिशत से अधिक (100 प्रतिशत से अधिक एटीएंडसी हानि वाले 66 फीडर[11] को सम्मिलित करते हुए) का एटीएंडसी घाटा दर्शाया। असंभव/असामान्य परिणामों को दर्शाने वाले डाटा की सारभूत मात्रा ने इंगित किया कि डाटा को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समुचित रूप से सत्यापित/प्रमाणित नहीं किया गया था तथा इसप्रकार यह विश्वसनीय नहीं थे। सॉफ़्टवेयर से उत्पन्न परिणामों की असामान्यता को देखते हुए, डिस्कॉम्स द्वारा प्रदर्शित उपभोक्ता-अनुक्रमण के आंकड़ों/संख्याओं में सारभूत कमियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि डिस्कॉम्स ने डाटा में विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जिसने न केवल डिस्कॉम्स द्वारा सृजित प्रतिवेदनों को विकृत किया अपितु त्रुटिपूर्ण डाटा एवं प्रतिवेदन का भी प्रदर्शन किया। साथ ही, अविश्वसनीय/ अप्रमाणित डाटा के अनुरक्षण ने किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं की क्योंकि घाटे वाले क्षेत्र अचिन्हित रहे।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने स्वीकार किया कि त्रुटिपूर्ण अनुक्रमण के कारण, डाटा में कमियां/असामान्यताएं थी। सरकार ने डिस्कॉम्स को उनके स्तर पर समुचित डाटा का अनुरक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

---

10 किसी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताओं को व्यवस्थित/प्रबंधित करने हेतु भौतिक/प्रत्यक्ष फीडर में से सृजित किये गए एवं बाद में नियमित व्यवस्था होने पर बंद किये गए फीडर को संदर्भित करता है।

11 जयपुर डिस्कॉम (नौ फीडर), अजमेर डिस्कॉम (17 फीडर) और जोधपुर डिस्कॉम (40 फीडर)।

अनुशंसा 10: डिस्कॉम्स जीआईएस द्वारा मानचित्रण तथा उपभोक्ता-अनुक्रमण के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध दृष्टिकोण अपना सकते हैं।

ट्रांसफार्मर एवं मीटर का उन्नयन/ बदलाव

3.6 उदय के वाक्यांश 4.1 में तकनीकि घाटे एवं विद्युत कटौती को कम करने हेतु ट्रांसफार्मर एवं मीटर के उन्नयन/ बदलाव का प्रावधान था।

साथ ही, डीटी की उच्च विफलता दर एवं 11 केवी ग्रामीण फीडर के घाटे में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष-डिस्कॉम्स ने सिंगल-फेज डीटी का क्षमता संवर्द्धन, गांवों में थ्री-फेज प्रणाली का विकास, क्षतिग्रस्त डीटी का प्रतिस्थापन आदि को सम्मिलित करते हुए पंद्रह-सूत्री फीडर संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया (मार्च 2014)।

डीटी के क्षमता संवर्द्धन/ उन्नयन तथा दोषपूर्ण डीटी एवं उपभोक्ता मीटर के प्रतिस्थापन में कमियों पर नीचे चर्चा की गई है:

वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) का क्षमता संवर्द्धन

3.6.1 2015-16 से 2020-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी का थ्री-फेज डीटी में क्षमता संवर्द्धन करने के वार्षिक लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 3.3: 2015-16 से 2020-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी के क्षमता संवर्द्धन के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि

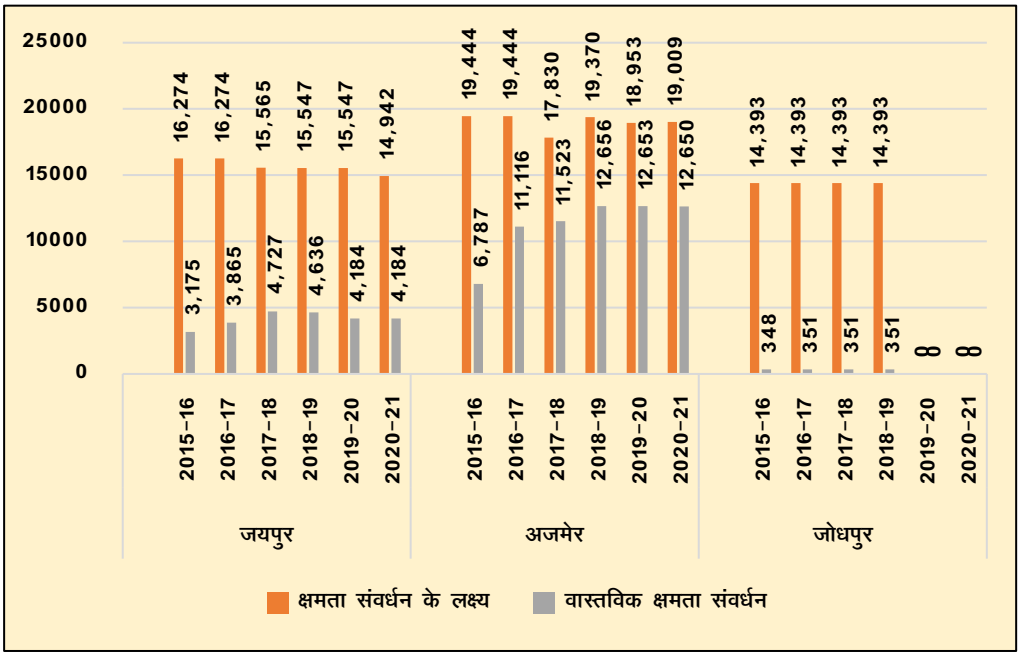

स्रोत: डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत एमआईएस

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2020-21 के दौरान लक्षित क्षमता संवर्धन के समक्ष उपलब्धि जयपुर डिस्कॉम में 19.51 प्रतिशत एवं 30.37 प्रतिशत के मध्य तथा अजमेर डिस्कॉम में 34.91 प्रतिशत एवं 66.76 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार, उक्त दोनों डिस्कॉम्स 2015-21 के दौरान सिंगल-फेज डीटी के लक्षित क्षमता संवर्धन को प्राप्त करने में पीछे रहे। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम का प्रदर्शन अत्यधिक बुरा था क्योंकि 2015-19[12] के दौरान लक्षित क्षमता संवर्धन की तुलना में उपलब्धि नगण्य (तीन प्रतिशत से कम) थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मासिक आधार पर प्रतिवेदित लक्षित क्षमता संवर्धन के उप इष्टतम उपलब्धि के उपरांत भी, प्रबंधन ने प्रदर्शन में सुधार हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स ने कहा (अक्टूबर 2022) कि 2019-20 एवं 2020-21 के क्षमता संवर्धन के आंकड़ों में नए संस्थापित डीटी, जो विद्यमान वितरण प्रणालियों के संवर्धन का भाग भी थे, सम्मिलित नहीं थे। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम ने 2019-20 से एमआईएस से उक्त प्रारूप को बाहर करने के तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं भविष्य में एमआईएस में संबंधित प्रारूप को सम्मिलित करने का आश्वासन दिया। सरकार ने उत्तर का समर्थन किया।

जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स के उत्तर युक्तियुक्त नहीं थे क्योंकि आक्षेप में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े डिस्कॉम्स के एमआईएस पर आधारित थे जबकि उत्तर में उल्लेखित 2019-20 एवं 2020-21 के आंकड़े साक्ष्य से समर्थित नहीं थे। यदि, तर्क-वितर्क के लिए ही डिस्कॉम्स के उत्तरों को स्वीकार कर लिया जाए, तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन नए संस्थापित डीटी को संबंधित एमआईएस में क्यों नहीं दर्शाया जा रहा था। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम के संबंध में 2016-17 से 2018-19 के लिए दर्शाए गए वास्तविक क्षमता संवर्धन के स्थैतिक डाटा ने भी एमआईएस की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न किया।

वितरण ट्रांसफार्मर की उच्च विफलता दर

3.6.2 समुचित विश्वसनीयता हेतु, डीटी की विफलता दर, जैसा कि विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा विनिर्दिष्ट की गई, 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होनी वांछित थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-21 के दौरान डिस्कॉम्स में डीटी की विफलता दर 7.26 प्रतिशत एवं 11.90 प्रतिशत[13] के मध्य थी, जैसा कि **अनुबंध-7** में दिया गया है। इसप्रकार, डीटी की विफलता दर बहुत अधिक थी। साथ ही, इस समयावधि में विफल हुए कुल डीटी में से गारंटी अवधि के पश्चात् विफल होने वाले डीटी का भाग सारभूत था जोकि इस समयावधि में विफल हुए कुल डीटी के 46.88 प्रतिशत एवं 65.22 प्रतिशत के मध्य था।

12 जोधपुर डिस्कॉम ने 2019-20 से सम्बंधित प्रारूप को एमआईएस से बाहर कर दिया।

13 जयपुर डिस्कॉम (9.14 प्रतिशत एवं 11.90 प्रतिशत के मध्य), अजमेर डिस्कॉम (7.96 प्रतिशत एवं 10.91 प्रतिशत के मध्य) एवं जोधपुर डिस्कॉम (7.26 प्रतिशत एवं 9.53 प्रतिशत के मध्य)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीटी की उच्च विफलता दर डीटी पर अधिभार, अनुपयुक्त अर्थिंग एवं सुरक्षा, अनुपयुक्त फ़्यूज़, अपर्याप्त निवारक अनुरक्षण, आदि के कारण थी। तथापि, डिस्कॉम ने डीटी की उच्च विफलता दर की समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि अधिक भार के कारण ट्रांसफार्मर को जलने से रोकने के लिए मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) के संस्थापन का प्रावधान अपनाया गया। तथापि, डीटी की विफलता के अन्य कारणों के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

दोषपूर्ण/ जले हुए वितरण ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन/ जमा कराना

3.6.3 समन्वय समिति[14] द्वारा अनुमोदित (दिसंबर 2009) जले हुए/ दोषपूर्ण डीटी के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया के अनुसार, उपखण्डों को डीटी को 72 घंटों के भीतर प्रतिस्थापित करना था एवं विफल डीटी को संबंधित सहायक भंडार नियंत्रक (एसीओएस) के पास 7 से 14 दिवस के भीतर जमा करवाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-21 के दौरान, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स ने क्रमशः 4,09,920 डीटी, 3,11,523 डीटी एवं 2,47,750 डीटी, जैसा कि **अनुबंध-8** में दिया गया है, प्रतिस्थापित किये। इनमें से, तीनों डिस्कॉम्स ने क्रमशः 6,448 डीटी, 597 डीटी एवं 90 डीटी को 72 घंटे की निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रतिस्थापित किया। विफल डीटी में से 11,387 डीटी प्रतिस्थापन के लिए लंबित थे। इसके अतिरिक्त, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के पास ऐसे डीटी, जो विफल हो चुके थे परन्तु संबंधित एसीओएस के पास जमा करवाये जाने हेतु लंबित थे, का शेष क्रमशः 94 दिवस एवं 137 दिवस के मध्य, 10 दिवस एवं 73 दिवस के मध्य तथा 11 दिवस एवं 74 दिवस के मध्य था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम में विफल डीटी को जमा करवाने में विलम्ब अत्यधिक था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि भण्डार की समग्र कार्यक्षमता के बेहतर विश्लेषण हेतु ईआरपी मॉड्यूल का क्रियान्वयन किया जा रहा था। साथ ही, गतिविधियों की बेहतर निगरानी हेतु एसीओएस में सीसीटीवी कैमरे भी संस्थापित किये जा रहे थे।

उपभोक्ता के दोषपूर्ण मीटर को प्रतिस्थापित नहीं करना

3.6.4 डिस्कॉम्स की विद्युत आपूर्ति के नियम एवं शर्तों (टीसीओएस) में बंद/ दोषपूर्ण मीटर को शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटों के भीतर प्रतिस्थापित करने का प्रावधान था। साथ ही, बंद/ दोषपूर्ण मीटर को दो माह (60 दिवस) की अवधि के भीतर प्रतिस्थापित नहीं किये जाने की स्थिति में, उपभोक्ता के कुल बिल (विद्युत शुल्क को छोड़कर) पर पांच प्रतिशत की छूट दी जानी थी।

14 विद्युत क्षेत्र की गतिविधियों में समन्वय एवं एकरूपता हेतु राज्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों (राज्य के डिस्कॉम्स के प्रतिनिधियों) की एक समिति।

31 मार्च 2021 तक प्रतिस्थापन हेतु लंबित दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर की डिस्कॉमवार समयावधि नीचे तालिका में दी गयी है:

तालिका 3.2: प्रतिस्थापन के लिए लंबित दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर का विवरण

डिस्कॉम	मीटरीकृतकुल उपभोक्ता (लाख में)	3 माह तक	3 से 6 माह	6 से 12 माह	12 माह से अधिक	कुल दोषपूर्ण मीटर	दोषपूर्ण मीटर का प्रतिशत
		(आंकड़े संख्या में)					
जयपुर	45.41	47805	45855	49762	81704	225126	4.96
अजमेर	48.40	98137	42144	27516	67227	235024	4.86
जोधपुर	43.31	76201	64008	49239	147212	336660	7.77

स्रोत: डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स टीसीओएस के अन्तर्गत निर्धारित मानदडों का पालन करने में विफल रहे तथा इन दोषपूर्ण उपभोक्ता मीटर का एक बड़ा भाग 12 महीने से अधिक की अवधि से प्रतिस्थापन हेतु लंबित था। निर्धारित समयसीमा के भीतर दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन नहीं करने के कारण, डिस्कॉम्स को 2016-21 के दौरान दोषपूर्ण मीटर हेतु ₹ 56.35 करोड़[15] की छूट अनुमत करनी पड़ी एवं उपभोग की औसत आधारित बिलिंग जारी रखनी पड़ी। तथापि, वास्तविक उपभोग डाटा की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा द्वारा औसत बिलिंग के परिणामस्वरूप हुई राजस्व हानि का आकलन नहीं किया जा सका।

सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंसा 11: डिस्कॉम्स डीटी की उच्च विफलता दर को नियंत्रित करने एवं समय पर दोषपूर्ण डीटी/उपभोक्ता मीटर का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने हेतु उपाय कर सकते हैं।

फीडर निगरानी तंत्र

फीडर मीटरीकरण के डाटा/पठन का स्वचालन

3.7 एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 11 केवी के स्तर तक ऊर्जा लेखापरीक्षा सितंबर 2016 तक प्रारंभ करनी थी। साथ ही, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 केवी ग्रामीण फीडर पर संचारक मीटर लगााने का निर्णय लिया (मार्च 2016) तथा उक्त कार्य को कार्यान्वित करने हेतु एवं 11 केवी ग्रामीण फीडर के रियलटाइम डाटा प्राप्त करने हेतु डीपीआर बनाने के लिए आरईसी लिमिटेड (आरईसी) को नोडल संस्था नियुक्त किया (मार्च 2016)। आरईसी ने इसलिए फीडर मीटरीकरण एवं उन पर दूरस्थ-संचार की उपलब्धता से संबंधित विवरण मांगा (मार्च 2016)। तत्पश्चात्, आरईसी ने कार्यों के दोहरेपन से बचने हेतु

15 जयपुर डिस्कॉम (₹ 22.30 करोड़), अजमेर डिस्कॉम (₹ 13.34 करोड़) और जोधपुर डिस्कॉम (₹ 20.71 करोड़)।

डिस्कॉम्स से उक्त योजना में उनकी भागीदारी की इच्छा के संबंध में बारम्बार पुष्टिकरण मांगा गया (सितंबर से दिसंबर 2016)।

(अ) अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम्स ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत आरईसी के माध्यम से उक्त कार्य के निष्पादन का विकल्प चुना (मई 2017)। आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी की एक सहायक कंपनी एवं कार्यान्वयन संस्था) ने 11 केवी ग्रामीण फीडर निगरानी योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश (जुलाई 2017) दिया। कार्यादेश में अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के क्रमशः 8,000 फीडर एवं 8,315 फीडर पर मॉडेम संस्थापन की परिकल्पना की गई थी। दोनों डिस्कॉम्स द्वारा शहरी फीडर में भी संचार प्रणाली स्थापित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 तक अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स के क्रमशः 1,452 फीडर एवं 2,409 फीडर पर, जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया गया है, संचार प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। साथ ही, 2018-21 के दौरान अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में अकार्यशील मॉडेम वाले फीडर की संख्या क्रमशः 878 से बढ़कर 1,690 फीडर एवं 2,939 से 4,244 फीडर हो गई। स्वचालित/ तकनीकि संचार के अभाव में, अजमेर डिस्कॉम के 34.53 प्रतिशत फीडर एवं जोधपुर डिस्कॉम के 59.14 प्रतिशत फीडर से डाटा मानवीय रूप से एकत्र एवं तंत्र में दर्ज किये जा रहे थे (मार्च 2021)। तत्पश्चात्, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड एवं विक्रेता के बीच विवाद के कारण, विक्रेता ने दोनों डिस्कॉम्स में जुलाई 2021 से संचार प्रणाली का संचालन बंद कर दिया। विवाद का मार्च 2022 तक समाधान नहीं हुआ।

इस प्रकार, फीडर सूचना निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन के अभाव में, तंत्र में अब तक मानवीय हस्तक्षेप एवं अशुद्धियाँ विद्यमान रही। साथ ही, तंत्र की वास्तविक-समय आधारित निगरानी का उद्देश्य दिसंबर 2022 तक अपूर्ण रहा।

समापन सभा (जनवरी 2023) के दौरान, सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि उक्त प्रकरण आरईसी के विचारार्थ उठाया जाएगा क्योंकि ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही मात्र आरईसी के स्तर पर ही प्रारंभ की जा सकती है।

(ब) जयपुर डिस्कॉम ने, आरईसी के माध्यम से कार्यान्वयन का विकल्प चुनने के स्थान पर, क्रमशः 5,000 फीडर एवं 2,500 फीडर पर फीडर मीटर सूचना प्रणाली हेतु दो निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं हस्तांतरण (बीओओटी) अनुबंध ₹ 275 प्रति फीडर के मासिक भुगतान पर पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए (मार्च 2017 एवं फरवरी 2019)। लेखापरीक्षा ने देखा कि अध्यक्ष-डिस्कॉम्स ने अपना अनुमोदन प्रदान करते समय, जयपुर डिस्कॉम को, आरईसी को उसकी फीडर निगरानी प्रणाली के साथ जयपुर डिस्कॉम की प्रस्तावित प्रणाली को एकीकृत करने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता पर विचार करने के संबंध में सूचित करने हेतु, निर्देशित किया (मार्च 2017)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम ने अपनी प्रणाली को आरईसी की प्रणाली के साथ एकीकृत करने के निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप, जयपुर डिस्कॉम ने उक्त प्रणाली को कार्यान्वित करने पर खर्च हुए ₹ 5.05 करोड़ के समक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर खो दिया। चूंकि उक्त व्यय आवर्ती प्रकृति का है, वास्तविक अवसर की हानि और भी अधिक होगी। साथ ही, डिस्कॉम में बिना मॉडेम वाले फीडर की संख्या एवं अकार्यशील मॉडेम वाले फीडर की संख्या 2018-21 के दौरान क्रमशः 813 से बढ़कर 1,727 एवं 756 से 1,564 हो गई, जैसा कि **अनुबंध-9** में दर्शाया गया है। स्वचालित/तकनीकि संचार के अभाव में, डिस्कॉम के 35.70 प्रतिशत फीडर से डाटा मानवीय रूप से एकत्र एवं तंत्र में दर्ज किये जा रहे थे (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जयपुर डिस्कॉम ने विक्रेता द्वारा आपूर्ति किए गए मॉडेम की गुणवत्ता के साथ समझौता किया क्योंकि उसने मॉडेम हेतु कोई भारतीय मानक संहिता नहीं होने के उपरांत भी, मॉडेम के सत्यापन/ निरीक्षण एवं परीक्षण को क्षमा कर दिया (जुलाई 2017)। साथ ही, जयपुर डिस्कॉम की ओर से फीडर मीटर सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन में कई कमियाँ यथा फीडर की अनुपलब्धता (भारविहीन फीडर), फीडर को प्रतिरूपी संख्यांक का आवंटन, जले/ दोषपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन नहीं करना, सीटीपीटी सेट का प्रतिस्थापन नहीं करना, पहले से संस्थापित मीटर के मीटरपोर्ट से संचार नहीं होना/ अनुकूलता संबंधी समस्याएं, इत्यादि देखी गई। साथ ही, विक्रेता के पक्ष पर कमियों में नेटवर्क संयोजन का अभाव, मॉडेम में प्रयुक्त केबल की खराब गुणवत्ता, फीडर मीटर एवं वास्तविक-समय घड़ी के गुणनकारक का अद्यतन नहीं करना इत्यादि सम्मिलित थे।

इस प्रकार, फीडर सूचना निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन के अभाव में, तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप/ अशुद्धियाँ अभी भी विद्यमान थी। साथ ही, सिस्टम की वास्तविक-समय आधारित निगरानी का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

जयपुर डिस्कॉम ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ग्रामीण एवं शहरी फीडर के लिए अलग-अलग प्रणाली की जटिलताओं से बचने के लिए, उसने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल एक निविदा जारी की। डिस्कॉम ने आगे कहा कि कई बाधाएं यथा दूरदराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की अनुपलब्धता, सीटीपीटी/ मीटर/ मॉडेम के प्रतिस्थापन/ मरम्मत की समय लेने वाली प्रक्रिया, असामान्य मौसम के कारण खराबी आना, इत्यादि। सरकार ने उत्तर का समर्थन (अक्टूबर 2022) किया।

उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप से सम्बंधित नहीं था एवं अध्यक्ष-डिस्कॉम्स के निर्देशों का पालन नहीं करने के विषय पर मौन था। साथ ही, डिस्कॉम ने समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाई।

अनुशंसा 12: वितरण-प्रणाली की वास्तविक-समय आधारित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स फीडर निगरानी प्रणाली के 100 प्रतिशत स्वचालन हेतु कदम उठा सकते हैं।

डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए अन्य पहल

3.8 उदय ने डिस्कॉम की परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कुछ अन्य पहल की भी परिकल्पना की थी। इन अन्य पहल के कार्यान्वयन के अभाव/कमियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

उद्यम संसाधन योजना का कार्यान्वयन

3.9 एमओयू के वाक्यांश 1.3 जी (xi) में बेहतर एवं प्रभावी भंडार-प्रबंधन, लेखा-प्रबंधन, आदि के लिए मार्च 2018 तक उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने (मई 2018 से जून 2019 के मध्य) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) को डिस्कॉम्स के लिए एकीकृत रूप में चार मॉड्यूल विकसित करने हेतु ₹ 4.03 करोड़[16] की कुल लागत का ईआरपी कार्य 12 माह की निर्धारित समापन अवधि के लिए सौंपा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरआईएसएल सभी मॉड्यूल विकसित नहीं कर सका चूँकि 31 मार्च 2021 तक चार मुख्य मॉड्यूल के अन्तर्गत मात्र नौ से 21 उप-मॉड्यूल[17] (कुल 39 उप-मॉड्यूल में से) ही कार्यात्मक थे जबकि शेष उप-मॉड्यूल परीक्षण-चरण में थे।

इस प्रकार, ईआरपी के कार्यान्वयन में देरी के कारण, डिस्कॉम्स एक एकीकृत, केंद्रीकृत एवं संयुक्त डेटाबेस, उन्नत सूचना साझाकरण एवं प्रक्रिया संगतिकरण, लेनदेन दक्षता में सुधार, कार्य के दोहराव में कमी एवं तात्कालिक एमआईएस प्रतिवेदन निर्माण की क्षमता इत्यादि के लाभ नहीं प्राप्त कर सके।

सरकार ने देरी को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022) एवं कहा कि डिस्कॉम्स ने ईआरपी परियोजना को 31 जुलाई 2022 को बंद करने का फैसला किया था (15 जून 2022) एवं इन मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल के पूर्व-समापन हेतु दंडात्मक प्रावधान की खोज की जा रही है।

16 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 1.52 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 1.27 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 1.24 करोड़।

17 जयपुर डिस्कॉमः 9 उप-मॉड्यूल, अजमेर डिस्कॉमः 21 उप-मॉड्यूल एवं जोधपुर डिस्कॉमः 12 उप-मॉड्यूल।

मांग पक्ष प्रबंधन

3.10 उदय एवं इसके अन्तर्गत निष्पादित एमओयू में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) की परिकल्पना की गई थी, जिसके अनुसार डिस्कॉम्स को निष्पादन, सम्पादन एवं व्यापार (पीएटी)[18] के माध्यम से एलईडी बल्ब, कृषि पंप, पंखे/एयर कंडीशनर एवं कुशल औद्योगिक उपकरण उपलब्ध कराने के उपाय करने थे।

कृषि पम्प सेटों का प्रतिस्थापन

3.10.1 ऊर्जा उपभोग को 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य तक घटाने के लक्ष्य के साथ, एमओयू में विद्यमान कृषि-पंप के कम से कम 10 प्रतिशत को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंपसेट से मार्च 2019 तक प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।

जयपुर डिस्कॉम ने प्रायोगिक आधार पर एक फीडर[19] पर सामान्य कृषि-पंप को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंप से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2016) एवं 50 कृषि-पंप के प्रतिस्थापन हेतु एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को कार्य प्रदान किया। ईईएसएल को इन पंप से हुई वास्तविक ऊर्जा बचत की जानकारी भी देनी थी जिससे कि इस परियोजना को प्रारंभ करने हेतु तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ईईएसएल ने 28 कृषि-पंप को ऊर्जा-कुशल कृषि-पंप से प्रतिस्थापित किया एवं तदनुसार ऊर्जा में 31.70 प्रतिशत की बचत सूचित की (अक्टूबर 2016)। तत्पश्चात, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को तीन[20] चयनित जिलों में 31,200 कृषि-पंप को प्रतिस्थापित करने का एक प्रस्ताव, ₹ 145 करोड़ की अनुमानित कुल लागत के साथ, सब्सिडी प्रदान करने हेतु भेजा गया (मई 2017) क्योंकि इससे पांच वर्षों में कृषि कनेक्शन पर राजस्थान सरकार का सब्सिडी का बोझ (₹ 276 करोड़) कम हो जाता। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त अनुदान को पूर्ण रूप से प्रदान करने से मना कर दिया, परन्तु कार्यान्वयन अवधि के दौरान सब्सिडी में होने वाली बचत की सीमा तक परियोजना-लागत को वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की। तथापि, डिस्कॉम्स ने बाद में प्रस्तावित परियोजना को बंद कर दिया (अगस्त 2018) क्योंकि वे इसे वित्तपोषित करने की स्थिति में नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी में बचत की सीमा तक कोष प्रदान करने हेतु सहमत होने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स ने कृषि-पंपसेट के प्रतिस्थापन की प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने हेतु कोई दूसरी योजना नहीं बनाई।

---

18 पीएटी, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अधीन एक पहल, एक बाजार-सहाय अनुपालन तंत्र है जिसे व्यापार-योग्य ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा-गहन वृहत उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में लागत बचत के सुधार में तीव्रता लाने के लिए तैयार किया गया था।

19 चौमू उपखंड का तेजाजी फीडर।

20 झालावाड़ (जयपुर डिस्कॉम), पाली (जोधपुर डिस्कॉम) एवं चित्तौड़गढ़ (अजमेर डिस्कॉम)।

इस प्रकार, कार्ययोजना को लागू करने में डिस्कॉम्स की निष्क्रियता एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिबद्ध वित्तपोषण से लाभान्वित होने में असमर्थता ने मात्र डीएसएम के अन्तर्गत ऊर्जा बचत में ही बाधा उत्पन्न नहीं की अपितु उदय के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया।

सरकार/ डिस्कॉम्स द्वारा लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया गया।

प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की अप्राप्ति

3.10.2 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 14क के अनुसार, भारत सरकार ऐसे प्राधिकृत उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा खपत नियत सन्नियमों एवं मानकों से कम है, को ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) जारी कर सकेगी। ऊर्जा संरक्षण नियम 2012 के नियम 13 (ख) में आगे प्रावधान किया गया कि जब ऊर्जा खपत सन्नियमों एवं मानकों के अनुपालन प्राप्ति हेतु किए गए उपाय अपर्याप्त होंगे, प्राधिकृत उपभोक्ता मीट्रिक टन तेल के समकक्ष आकलित ऊर्जा खपत सन्नियमों एवं मानकों में कमी की पूर्ण संतुष्टि के समतुल्य ऊर्जा-बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) क्रय करेंगे। साथ ही, ऊर्जादक्षता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने प्रदर्शन, उपलब्धि एवं व्यापार (पीएटी) योजना प्रारंभ की (जुलाई 2012)। भारत सरकार ने डिस्कॉम्स को पीएटी के अधीन प्राधिकृत उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में सम्मिलित किया (दिसंबर 2015) एवं ऊर्जा संरक्षण नियम 2012 के अन्तर्गत प्रति मीट्रिक टन तेल का मूल्य ₹ 18,402 अधिसूचित किया (दिसंबर 2020)।

ऊर्जा बचत के आधिक्य को ईएससी नामक व्यापार-योग्य विलेख, जिनका व्यापार हेतु मंच प्रदान करने वाले विद्युत एक्सचेंज में क्रय-विक्रय किया जाता है, में परिवर्तित कर दिया जाता है जहां डीसी, जो अपने अनुपालन में विफल रहे हों, ईएससी के क्रय हेतु बोली लगाते हैं।

भारत सरकार ने राजस्थान डिस्कॉम्स के लिए 2018-19 (लक्ष्य वर्ष) हेतु ऊर्जा खपत सन्नियम एवं मानक (टीएंडडी हानि[21] के रूप में) निर्धारित किए (मार्च 2016) जिन्हें अक्टूबर 2018 में संशोधित कर 15 प्रतिशत कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 के दौरान कोई भी डिस्कॉम टीएंडडी हानि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में वास्तविक टीएंडडी हानि क्रमशः 20.54 प्रतिशत, 18.03 प्रतिशत एवं 23.12 प्रतिशत रही। तदनुसार, डिस्कॉम्स ₹ 573.15 करोड़[22] मूल्य के 3,11,462 ईएससी खरीदने के लिए उत्तरदायी थे चूँकि एक ईएससी का मूल्य एक मीट्रिक टन तेल के समकक्ष होना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अक्टूबर-नवंबर 2021 में आयोजित व्यापार में, ईएससी ₹ 250 पर विपणन हुए थे, परन्तु डिस्कॉम्स ने उक्त दर पर ईएससी क्रय का अवसर खो दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने ईएससी क्रय का कार्य विलम्ब से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम

21 जयपुर डिस्कॉम-28.12 प्रतिशत, अजमेर डिस्कॉम-24.53 प्रतिशत एवं जोधपुर डिस्कॉम-22.80 प्रतिशत।

22 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 220.56 करोड़ (1,19,854 ईएससी * ₹ 18,402), अजमेर डिस्कॉमः ₹ 83.67 करोड़ (45,470 ईएससी * ₹ 18,402) एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 268.92 करोड़ (1,46,138 ईएससी * ₹18,402)।

लिमिटेड को प्रदान किया (दिसंबर 2021)। तथापि, ईएससी का क्रय मार्च 2022 तक नहीं किया गया था।

तत्पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने ईएससी के व्यापार हेतु निम्नतम आधार मूल्य, खपत की गई ऊर्जा के समतुल्य एक मीट्रिक टन तेल के मूल्य के दस प्रतिशत के समकक्ष अर्थात् ₹ 1,840, विनिर्दिष्ट किया (अगस्त 2022)।

इस प्रकार, डिस्कॉम की निष्क्रियता ईएससी क्रय करने हेतु कम से कम ₹ 57.30 करोड़ की देयता, रूढ़िवादी माध्यम से निर्धारित निम्नतम आधार मूल्य पर मूल्यांकित, उत्पन्न कर सकती है।

डिस्कॉम्स मात्र टीएंडडी हानि में लक्षित कमी को प्राप्त करने में ही विफल नहीं रहे, अपितु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, टीएंडडी हानि में कमी लाने में विफलता ईएससी क्रय करने हेतु कम से कम ₹ 57.30 करोड़ की देयता उत्पन्न कर सकती है।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2022) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

सतर्कता जांच

3.11 उदय की कार्ययोजना में डिस्कॉम/राजस्थान सरकार द्वारा सतर्कता अभियान चलाने एवं सतर्कता निगरानी समितियों के गठन की परिकल्पना की गई थी। इस संबंध में कमियों/अभावों पर नीचे चर्चा की गई है।

सतर्कता अभियान

3.11.1 उदय की कार्ययोजना के अनुसार, डिस्कॉम्स द्वारा वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए विद्युत चोरी की जांच एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक उपखण्ड में एक दल नियुक्त करते हुए सतर्कता अभियान चलाए जाने वांछित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम ने कार्ययोजना में परिकल्पित सतर्कता अभियान के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। तथापि, जयपुर डिस्कॉम ने देर से अप्रैल 2019 में कार्यवाही प्रारंभ की। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 2015 से 2021 तक डिस्कॉम्स द्वारा की गई सतर्कता जांच की कुल संख्या में, जैसा कि **अनुबंध–10** में दर्शाया गया है, अत्यधिक कमी (राज्य विधानसभा चुनावों के कारण 2018-19 में असाधारण रूप से कम) हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिस्कॉम्स ने, उदय की कार्ययोजना में की गयी परिकल्पना के अनुसार सतर्कता शाखा एवं ओएंडएम वृत्त के माध्यम से सतर्कता अभियान बढ़ाने के स्थान पर, वास्तव में सतर्कता जांच कम कर दी एवं इसप्रकार अनुमोदित हानि प्रक्षेपवक्र के अनुसार एटीएंडसी घाटे में कमी सुनिश्चित नहीं कर सके।

साथ ही, 2015-21 के दौरान सतर्कता जांच में पाए गए चोरी के प्रकरणों में देयता राशि के निर्धारण एवं वसूली का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: 2015-21 के दौरान सतर्कता जांच में पाए गए चोरी के प्रकरणों में देयता राशि के निर्धारण एवं वसूली की स्थिति

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	चोरी के पाए गए प्रकरणों की संख्या	निर्धारित देयता राशि	निर्धारण के विरुद्ध वसूली गयी देयता राशि		निर्धारण के विरुद्ध वसूल नहीं की गई देयता राशि	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
जयपुर	434820	929.25	469.27	50.49	459.98	49.51
अजमेर	358464	790.09	427.86	54.15	362.23	45.85
जोधपुर	145557	481.44	217.45	45.17	263.99	54.83
कुल	**938841**	**2200.78**	**1114.58**	**50.64**	**1086.20**	**49.36**

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सतर्कता जांच के दौरान पकड़े गए 9.39 लाख चोरी के प्रकरणों के समक्ष, डिस्कॉम्स ने 2015-21 के दौरान ₹ 2200.78 करोड़ के बकाया का आकलन किया। तथापि, मात्र ₹ 1,114.58 करोड़ की राशि ही वसूल की गई जो कि जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में क्रमशः 50.49 प्रतिशत, 54.15 प्रतिशत और 45.17 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य दो डिस्कॉम्स की तुलना में, जोधपुर डिस्कॉम का प्रदर्शन सभी क्षेत्रों यथा सतर्कता जांच, चोरी का पता लगाना एवं निर्धारित राशि की वसूली, में अत्यधिक बुरा था जो कि 2018-19 से लेकर एटीएंडसी घाटे में निरंतर वृद्धि, जैसा कि **अनुच्छेद 5.3** में वर्णित है, में परिवर्तित हुआ। साथ ही, उदय-पूर्व की समयावधि की तुलना में एटीएंडसी घाटे में वृद्धि, योजना से लाभान्वित होने में जोधपुर डिस्कॉम की पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

सरकार/ डिस्कॉम्स ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया (अक्टूबर 2022)। तथापि, उत्तर सतर्कता जाँच में गिरावट की प्रवृत्ति के विषय में मौन था।

सतर्कता निगरानी समितियों का गठन

3.11.2 उदय की कार्ययोजना के अन्तर्गत प्रारंभ किए गए सतर्कता अभियानों के आधार पर, प्रत्येक वृत्त द्वारा एटीएंडसी घाटे के संदर्भ में दो सर्वाधिक बुरा प्रदर्शन करने वाले उपखण्डों एवं प्रत्येक उपखण्ड में दो सर्वाधिक प्रभावित भागों की पहचान किया जाना वांछित था। साथ ही, इन पहचाने गए भागों की जांच जिला स्तरीय सतर्कता अभियान निगरानी समिति (डीएलवीडीएमसी) के सहयोग से बाहरी दलों द्वारा की जानी थी। इन अभियानों के कार्यान्वयन एवं परिणाम की निगरानी राज्य स्तरीय सतर्कता अभियान निगरानी समिति (एसएलवीडीएमसी) द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सतर्कता अभियान की निगरानी हेतु मार्च 2022 तक डीएलवीडीएमसी और एसएलवीडीएमसी का गठन नहीं किया गया था। तथापि, तीन सदस्यों[23] वाली एक राज्य स्तरीय समिति का गठन फरवरी 2021 में विलम्ब से किया गया था।

सरकार/ डिस्कॉम्स ने लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2022)।

अनुशंसा 13: डिस्कॉम्स, विशेषतः जोधपुर डिस्कॉम, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने एवं हानियों को लक्षित सीमा के भीतर तक कम करने के लिए सतर्कता जांच बढ़ा सकते हैं।

सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान का अभाव

3.12 उदय में दिसंबर 2016 तक उन्नत जन-जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विद्युत चोरी की जांच हेतु राज्य के साथ संयुक्त रूप से व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान चलाने की परिकल्पना की गई थी। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने भी उदय की राज्य कार्ययोजना के दस्तावेज में आईईसी के हस्तक्षेप को सम्मिलित करने हेतु एवं समय-समय पर विद्युत चोरी पर नियंत्रण के लिए आईईसी अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी किये (मई 2016)।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया एवं परिणामस्वरूप राज्य कार्ययोजना में आईईसी के हस्तक्षेपों को सम्मिलित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स के अभिलेखों में जनभागीदारी के माध्यम से व्यापक आईईसी अभियान चलाने की कोई कार्यवाही नहीं पाई गई।

सरकार ने कहा (अक्टूबर 2022) कि डिस्कॉम्स ने विद्युत संबंधी दुर्घटनाओं एवं विद्युत के दुरुपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम/ अभियान आयोजित किए थे।

उत्तर राज्य कार्ययोजना में आईईसी हस्तक्षेपों को सम्मिलित नहीं करने के विषय में मौन था। साथ ही, डिस्कॉम्स ने जागरूकता कार्यक्रम/ अभियान आयोजित करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

23 अध्यक्ष के रूप में ऊर्जा मंत्री तथा सदस्य के रूप में उद्योग मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।